

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा निदेशालय
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 01 नवम्बर, 2013

विषय: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों के आधार पर महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था ट्रीट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निम्नलिखित संस्थाओं/महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक द्वारा अल्पसंख्यक संस्था होने का प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उन्हें अल्पसंख्यक संस्थाओं की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र०	संस्था का नाम	भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत पत्र में अंकित फाइल नम्बर	धर्म
1	हाफिज रहमत खान लॉ कॉलेज, चन्दोई पीलीभीत, उत्तर प्रदेश	F.No. 48 OF 2010-41794 दिनांक 04 मार्च, 2010 के साथ संलग्न प्रमाण-पत्र दिनांक 03 मार्च, 2010	मुस्लिम
2	एम०एच० महिला महाविद्यालय, बरई कुण्डा, प्रतापगढ़, उ०प्र०	F.No. 820 OF 2012/63210 दिनांक 04 सितम्बर, 2012 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2012	मुस्लिम
3	रांयजादा धर्मदास इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, वेदव्यासपुरी, सेक्टर-1 अपोजिट सुभारती यूनिवर्सिटी, बायपास रोड, मेरठ, उ०प्र०	F.No. 277 OF 2013/2846 दिनांक 20 मार्च, 2013 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 19 मार्च, 2013	जैन
4	जे०वी० जैन कॉलेज, प्रद्युम्न नगर, सहारनपुर, उ०प्र०	F.No. 920 OF 2013/7227 दिनांक 11 जुलाई, 2013 के साथ संलग्न प्रमाणपत्र दिनांक 10 जून, 2013	जैन

(2) इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित) से आच्छादित पाठ्यक्रमों हेतु उपर्युक्त क्रमांक-1 से 4 में अंकित महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था "ट्रीट" किये जाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय,

1
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या-1664(1)/सत्तर-6-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- सचिव, भारत सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, गेट न०-4, प्रथम तल, जीवन तारा भवन, 5, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 3- कुलसचिव, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
- 4- कुलसचिव, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
- 5- कुलसचिव, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
- 6- क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ, लखनऊ एवं बरेली।
- ✓ 7- प्रबन्धक/सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय।
- 8- उच्च शिक्षा अनुभाग- 2/3
- 9- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।